न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 83/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/312

दायर दिनांक :— 16.07.2024 निर्णय दिनांक :— 08.01.2025

1. उगमसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
2. उम्मेदसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
3. मोहनसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
4. दिरावरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
5. भूरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
6. शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
7. सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
8. स्वरूपसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. आसुकंवर पत्नी भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
2. कैलाशकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
3. गुडीकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
4. मनोहरकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
5. तेजपालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
6. देरावरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
7. जमना पत्नी भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
8. भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
9. राणीदानसिंह पुत्र भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
10. बाबुसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
12. जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी
13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फलोदी जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः— 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण

08/01/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी
3. श्री राणीदानसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी
4. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के सह खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है। वादग्रस्त काश्त भूमि वादी संख 1 का 1061/40930 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1061/40930 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1061/40930 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 635/40930 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 635/40930 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 635/40930 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 635/40930 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 643/40930 हिस्सा है। वादीगण इसी हिस्से अनुसार वादग्रस्त काश्त भूमि में कब्जा काश्त में है तथा वादीगण वादग्रस्त भूमि में इसी हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है। वादग्रस्त काश्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1438/81860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1438/81860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1438/81860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1438/81860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 10067/81860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 10066/81860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 5947/40930 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1830/40930 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 900/40930 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 25885/81860 हिस्सा है। प्रतिवादीगण इसी हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि में कब्जा काश्त में है, तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में इसी हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है। राज्य सरकार की DILRMP योजना में खसरा एकीकरण करते समय राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी राजस्व अभिलेख की जांच और वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना मन माफिक तरीके से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के हिस्सो का निर्धारण सरासर गलत कर राजस्व अभिलेख में गलत अमल दरामद कर दिया। वादीगण पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाने के जायज हकदार है। जिसका यह वाद वादीगण पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 10 की और से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 की और से अधिवक्ता राणीदानसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादीगण जबाबुल जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त ग्राम बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब मय काण्उटर क्लेम वादीगण ने स्वीकार किया है जो इस प्रकार है दिनांक 05.08.2024 को जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख वादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिससा 636/8186 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 को विक्रय कर देने से प्रतिवादी संख्या 9 का वर्तमान में पूर्व के 900/40930 हिस्से व क्रय किये गये 636/8186 हिस्सा मिलाकर कुलर 816/8186 हिस्सा अर्थात रकबा 6.6044 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है। इसी प्रकार वादीगण संख्या 5 ता 8 द्वारा अपने हिस्से में से 128/4093 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर देने से वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 8 के पूर्व 183/4093 हिस्सा व क्रय किये गये 128/4093 हिस्सा को मिलाकर 311/4093 हिससा अर्थात रकबा 5.03428 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है। वर्तमान में वादी संख्या 4 का 637/40930 हिस्सा व वादीगण संख्या 5 ता 8 प्रत्येक का 317/40930– 317–40930 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में शेष रहता है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर भूमि में माफिक विक्रय पत्र एवं पूर्व में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 को 311/4093 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 816/8186 हिस्सा का एवं वादी संख्या 1 ता 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादी संख्या 4 को 637/40930 हिस्सा, वादीगण संख्या 5 ता 8 प्रत्येक को 317/40930–317/40930 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 10 का हिस्सा पूर्वानुसार यथावत रहेगा। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/01/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुरेश ... पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. उगमसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
02. उम्मेदसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
03. मोहनसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
04. दिरावरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
05. भूरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
06. शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
07. सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
08. स्वरूपसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. आसुकंवर पत्नी भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
02. कैलाशकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
03. गुडीकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
04. मनोहरकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
05. तेजपालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
06. देरावरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
07. जमना पत्नी भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
08. भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
09. राणीदानसिंह पुत्र भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
10. बाबुसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण हाल बारू
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
12. जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा फलोदी तहसील फलोदी जिला फलोदी
13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फलोदी जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :— 83/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई व राणीदानसिंह, नारायणसिंह मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर भूमि में माफिक विक्रय पत्र एवं पूर्व में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 को 311/4093 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 816/8186 हिस्सा का एवं वादी संख्या 1 ता 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादी संख्या 4 को 637/40930 हिस्सा, वादीगण संख्या 5 ता 8 प्रत्येक को 317/40930–317/40930 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 10 का हिस्सा पूर्वानुसार यथावत रहेगा। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक — बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2025 को जारी की गई।

(सहायक कलक्टर, बाप, जिला फलोदी (राज.) — seal)

(सुखराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।